न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 428/2022 निर्णय दिनांक :–17.10.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र

रामकुरी पुत्री नानूलाल जाति मीणा निवासी धुवांकला हाल निवासी आमली देवल्या तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीया–

बनाम

1. लादू पुत्र नानूलाल जाति मीणा निवासी धुवांकला तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. अभिषेक पुत्र प्रकाश जाति मीणा निवासी धुंवाकंला तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. टीना पुत्री प्रकाश जाति मीणा निवासी धुंवाकला तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
4. भागचन्द पुत्र प्रकाश जाति मीणा निवासी धुंवाकंला तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
5. मोना पुत्री प्रकाश जाति मीणा निवासी धुंवाकंला तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
6. श्वेता पुत्री प्रकाश जाति मीणा निवासी धुंवाकंला तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
7. मोहनी पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी धुंवाकंला तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
8. बदाम पुत्री प्रकाश जाति मीणा निवासी धुंवाकंला तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
9. शान्ति पुत्री नानूलाल जाति मीणा निवासी धुवाकला हाल निवासी आमली देवल्या तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. लादी पुत्री नानूलाल जाति मीणा निवासी धुवांकला हाल निवासी आमली देवल्या तहसील दूनी जिला टोक राज0
11. तहसीलदार महोदय, दूनी/नगरफोर्ट जिला टोक राज0 उप पंजीयक नगरफोर्ट

–प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति
श्री रमेश चन्द शर्मा
श्री अनिल भूरेठा

श्री अजय सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के पिता नानूलाल पुत्र बलदेवा जाति मीणा निवासी धुवांकला की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.05 है०, खसरा नम्बर 2075 रकबा 2.21 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 3.36 है0 भूमि वाके ग्राम धुवांकला में स्थित है। प्रार्थीया के पिता का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-

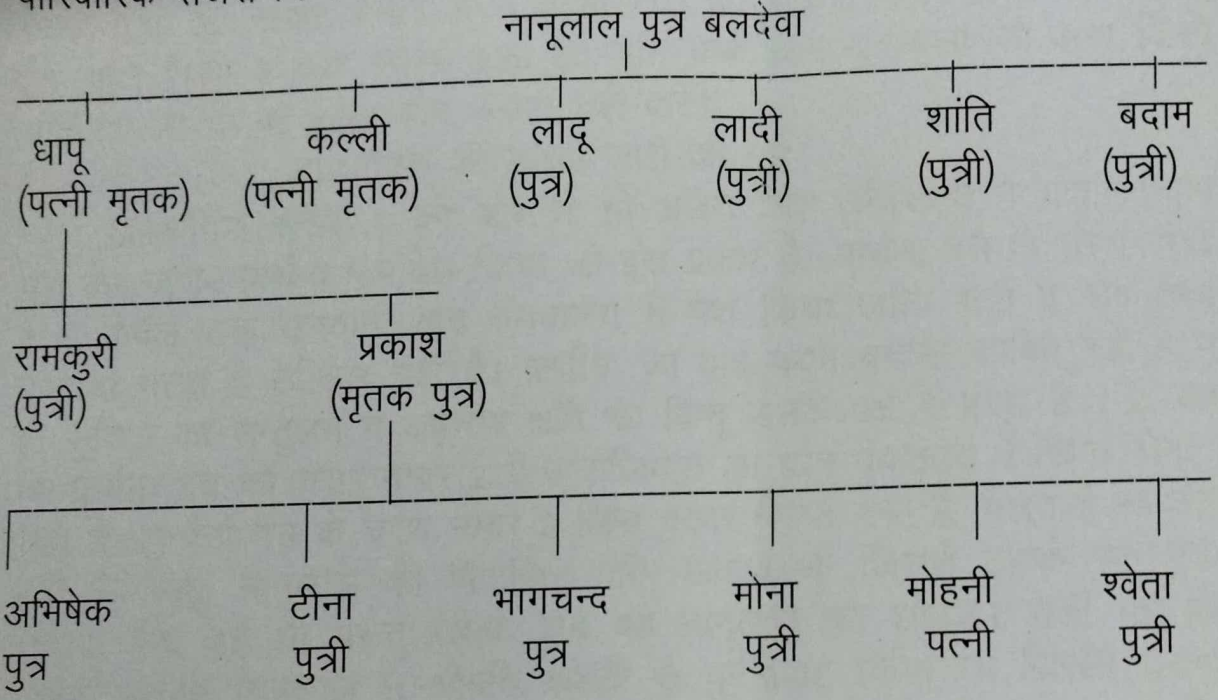

प्रार्थीया के पिता नानूलाल के दो पत्नियां थी जिसमे से प्रार्थीया की माता धापू नानूलाल की विवाहिता पत्नी थी जबकि कल्ली से उन्होने बाद मे नाता विवाह किया था। नानूलाल की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विरासत का नामातंकरण संख्या 132 दिनांक 22.05.1993 भरा गया जो अप्रार्थी संख्या 2 तथा 3 ता 7 के पिता/पति प्रकाश एंव अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 के नाम खोल दिया गया तथा प्रार्थीया की माता धापू व प्रार्थीया का नाम नामांतकरण मे अंकित नही किया गया तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। राजस्व कर्मचारियो द्वारा वारिसान की बिना सहमति सही जांच किये तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के द्वारा दी गयी गलत जानकारी के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया गया जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया की माता श्रीमती धापू देवी की मृत्यु दिनांक 02.12.2001 को हो चुकी है तथा प्रार्थीया अपनी माता की एकमात्र वारिस है। इस कारण चरण नम्बर 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीया का 1/7 हिस्सा है एंव प्रार्थीया की माता का 1/14 हिस्सा अर्थात

प्रार्थीया तथा प्रार्थीया की मां का कुल हिस्सा 3/14 प्रार्थीया के नाम अंकित होना चाहिये था। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 राजस्व रिकॉर्ड मे गलत अंकन का फायदा उठाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी को बेचान व स्थानान्तरण करके प्रार्थीया को अपने जायज हक से महरूम करने पर अमादा है। जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 को पाबंद किया जाना न्याहित मे आवश्यक है कि वे प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 2 मे वर्णित भूमि को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था के रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.05 है0, खसरा नम्बर 2075 रकबा 2.21 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.36 है0 भूमि वाके ग्राम धुवांकला को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान नही करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री अजय सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है:–प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 में केवल उक्त उनवानी वाद न्यायालय में पेश किया जाना सही है शेष तथ्य पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का वाद प्रथम दृष्टया साबित नहीं है न ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू उसके पक्ष में प्रबल है । 2. यह कि प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 में आराजियात का ग्राम धुवाकला में स्थित होना सही है। प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 3 जिस प्रकार लिखा गया है, गलत है स्वीकार नहीं है। धापू, नानूलाल की विवाहिता पत्नि अवश्य थी जिससे उसके एक पुत्री वादीया पैदा हुई थी परन्तु उसके बाद वह नानूलाल को छोड़कर चली गई थी उसके पश्चात नानूलाल ने श्रीमति कल्ली से पुर्नविवाह किया था जिससे उसके गया प्रतिवादी संख्या 1, स्वर्गीय प्रकाश एवं लादी, शान्ति, बदाम पेदा हुए है। प्रार्थीया रामकूंरी विवाह के पश्चात अपने पति के साथ ग्राम आमली देवल्या में निवास कर रही है। प्रतिपक्षी के पिता का स्वर्गवास होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही रूप से नामान्तरकरण संख्या 132 दिनाक 22.05.93 को भरा गया था। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को थी परन्तु उसने उस समय कोई आपत्ति नहीं की और न उक्त नामान्तरकरण को सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज ही किया। दिनाक 21.05.1994 प्रतिपक्षी एवं उसके भाई स्वर्गीय प्रकाश के मध्य आपस में इकरारनामा भी संपादित हुआ था जिस पर स्वयं रामकूरी ने अपने हस्ताक्षर किये थे इस प्रकार रामकूंरी को उक्त भूमि प्रतिपक्षी संख्या 1, व 2 ता 7 के पिता प्रकाश एवं लादी, शान्ति, बदाम के नाम भूमियां अंकित होने की जानकारी थी । प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4. जिस प्रकार लिखा है पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का उक्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस प्रकार लिखा है, सहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 जिस प्रकार लिखा है पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का यह लिखना कि उसे उक्त राजस्व

D.J.

रेकार्ड की जानकारी नहीं थी, कतई गलत है स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रार्थीया को इस सम्बन्ध में जानकारी वर्षो पूर्व ही हो गई थी जब प्रतिपक्षी संख्या । व उसके भाई प्रकाश के मध्य आपस में समझौता एक इकरारनामा उक्त भूमियों व अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिनाक 21.5.2004 को हुआ था जिस पर स्वंय रामकूंरी ने भी अपनी सहमति बतोर हस्ताक्षर किये थे। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 गलत है स्वीकार नहीं है। मुलाहिजा हो विशेष आपत्तियां । प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व प्रतिपक्षी संख्या 2 ता 10 उक्त भूमि को रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है और खातेदारान काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में चाही गई अधियाचना जिस प्रकार अंकित है पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिपक्षी मय हर्जा खर्चा निरस्त योग्य है। विशेष आपत्तियां :–प्रतिपक्षी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय श्री नानूलाल के दो पत्नियां थी जिनमें एक धापू व कल्ली देवी थी धापू देवी नानूलाल को छोडकर चली गई थी उसके पश्चात नानूलाल ने प्रतिपक्षी संख्या की माता कल्ली देवी से पुर्नविवाह 1 (नाता विवाह) किया था जिससे प्रतिपक्षी संख्या 1 लादू, प्रकाश, लादी, शान्ति, बदाम पैदा हुए है । प्रतिपक्षी संख्या के पिता नानूलाल का 1 स्वर्गवास होने विरासत पर उनकी आराजीयात का नामान्तरकरण स. 132, 22.05.1993 को प्रतिपक्षी संख्या 1 का दिनाक व प्रकाश, लादी, शान्ति, बदाम के नाम भरा गया। और उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी को अंकन हुआ। जिस पर प्रतिपक्षी 1 एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 ता 10 मोके पर बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार के काबिज है । उक्त आराजीयात व अन्य सम्पत्ति मकान आदि के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी संख्या 1 व उसके भाई प्रकाश के मध्य आपस में एक समझौता इकरारनामा दिनाक 21.05.2004 को हुआ था जिस पर स्वंय वादीया द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये थे इस प्रकार प्रार्थीया को नानूलाल की भूमियां प्रतिपक्षी संख्या 1, स्व. प्रकाश एवं लादी, शान्ति व बदाम के नाम अंकित होने की जानकारी थी। परन्तु उसने उस समय अपनी सहमति देते हुए उक्त इकरारनामा पर हस्ताक्षर किये थे। अब जमीनों की कीमते बढ़ जाने के कारण वादीया ने यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया का न तो उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त रहा। और न ही उसका इन आराजीयात से किसी तरह का कोई सम्बन्ध ही है। प्रार्थीया वर्षो से अपने ससुराल आमली देवल्या में अपने पति के साथ निवास कर रही है। प्रार्थीया ने झूठे तथ्यों के आधार पर यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो निरस्त योग्य है । प्रतिपक्षी सं. 1 के पिता नानूलाल जो अनुसूचित जन जाति (मीणा) के थे और मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं नहीं होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अपने अन्तर्गत इस आप में धारा 2 (2) के अधिनियम का अनुसूचित जन जाति (मीणा) के सदस्यों पर प्रभावी न होना वर्णित करता है एवं यह भी प्राबंधित किया गया है कि जब तक केन्द्र सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके

यथा निर्देशित न करे तब तक यह अधिनियम अनुसूचित जन जाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नहीं होता है। उक्त प्रावधानों के अनुसार वादीया का वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 2074 व 2075 कुल रकबा 3.26 हेक्टर वाके ग्राम धुंवाकला तहसील दूनी में जो प्रतिपक्षी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा है वह प्रतिपक्षी संख्या 1 ने सत्यनारायणपुत्र गोपी जाति भील निवासी ग्राम चूरिया पोस्ट अरनियाकेदार तहसील टोंक जिला टोंक को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2022 को 1,90,000 / रूपये अक्षरे एक लाख नब्बे हजार में विक्रय करके मोके पर कब्जा उक्त सत्यनारायण को संभला दिया है जिसकी रूह से सत्यनारायण मोके पर काबिज है । उक्त विक्रय पत्र पंजीयन होने के पश्चात प्रार्थीया ने यह वाद व प्रार्थना पत्र बदनियती पूर्वक पेश किया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीया का उक्त वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना बिना कब्जे व बिना स्वामित्व के प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जाये।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में मुख्यतया प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया नानूलाल की पूर्व पत्नी है जिसकी विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता का नाम खुलना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बिना जांच किये ही अप्रार्थी संख्या 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के नाम खोल दिया जिसको दुरूस्त करवाने के लिए यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया नानूलाल की आराजी में से अपने व अपनी माता के हिस्से की एकमात्र हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अपनी बहस में मुख्यतया जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि धापू, नानूलाल की विवाहिता पत्नि अवश्य थी जिससे उसके एक पुत्री वादीया पेदा हुई थी । प्रतिपक्षी के पिता का स्वर्गवास होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही रूप से नामान्तरकरण संख्या 132 दिनाक 22.05.93 को भरा गया था। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को थी। जब प्रतिपक्षी संख्या । व उसके भाई प्रकाश के मध्य आपस में समझौता एक इकरारनामा उक्त भूमियों व अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिनाक 21.5.2004 को हुआ था जिस पर स्वंय रामकूंरी ने भी अपनी सहमति बतोर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपक्षी संख्या 1 व

Bindas

प्रतिपक्षी संख्या ता 10 उक्त भूमि को 2 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है और खातेदारान काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अब जमीनों की कीमते बढ़ जाने के कारण प्रार्थीया ने यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया का न तो उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त रहा। और न ही उसका इन आराजीयात से किसी तरह का कोई सम्बन्ध ही है। प्रतिपक्षी सं. 1 के पिता नानूलाल जो अनुसूचित जन जाति (मीणा) के थे और मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं नहीं होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अपने अन्तर्गत इस आप में धारा 2 (2) के अधिनियम का अनुसूचित जन जाति (मीणा) के सदस्यों पर प्रभावी न होना वर्णित करता है एवं यह भी प्राबंधित किया गया है कि जब तक केन्द्र सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अन्यथा निर्देशित न करे तब तक यह अधिनियम अनुसूचित जन जाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नहीं होता है। इसके लिए अधिवक्ता अप्रार्थी ने दृष्टान्त 2016 (1) आरआरटी 196, 1966 आरआरडी 71, एआईआर 2006 राजस्थान 162, सीडब्ल्यूपी नं. 4363 ऑफ 1997, रिविजन नं. 10844/जयपुर ऑफ 07 डिसाईडेड ऑन 21 मार्च 2006. पेश किये। प्रार्थीया को यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं बल्कि खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया के अनुसार प्रार्थीया अपने पिता नानूलाल की जायज संतान होने के कारण नानूलाल की आराजी में से अपना और अपनी मां का हिस्सा अपने नाम करवाना चाहती है। प्रार्थीया के अनुसार विवादित आराजी का पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 2 तथा 3 ता 7 के पिता/पति प्रकाश एवं अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 के नाम खोला गया नामान्तरकण गलत था। इस बाबत प्रार्थीया ने वाद व प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र, जवाब व उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि इकरारनामा दिनांक 21.05.2004 में प्रार्थीया व प्रकाश के साथ अन्य अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया को उक्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। उक्त आराजी नानूलाल जो मीणा जाति का है जो अनुसुचित जन जाति है जिस पर हिन्दू उतराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते है, पुराने हिन्दू कानून ही लागू होते है। उक्त प्रकरण में नानुलाल की पूर्व पत्नी अन्य जगह नाते

की गई और प्रार्थीया उसकी सन्तान है। हिन्दू उतराधिकार पुराने कानून अनुसार पिता की सम्पति पर पुत्र और पुत्री दोनो का अधिकार होता है परन्तु यदि पुत्री का विवाह हो जाने पर उस सम्पति पर उस पुत्री व उसकी किसी सन्तति का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया नानूलाल की पूर्व पत्नी धापू जो फोत हो चुकी है, कि विवाहिता सन्तान है, जो पुराने हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं रखती है। इस सम्बन्ध मे माननीय न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर के दृष्टान्त 2016 (1) आरआरटी 197, में स्पष्ट उल्लेखित है कि **पक्षकार जाति से मीणा है जो कि अनुसुचित जन जाति है–हिन्दू उतराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते–पुराने हिन्दू कानून के प्रावधान लागू होते है।** इसी तरह AIR 2006 Rajasthan 162 Hindu succession Act (30 of 1956) Right of inheritance-Provisions of Hindu Succession Act are not applicable to members of Scheduled Tribes - Widow after remarriage has no right over land belonging to husband Similarly married daughter does not have any right over ancestoral property of father-Order. अतः इस प्रार्थना पत्र द्वारा अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो का दमन नहीं किया जा सकता है। नियमित वाद में आवश्यक राजस्व दस्तावेजो, साक्ष्यो व कानूनो के साथ प्रार्थीया को अपने अधिकारों को साबित करने का अवसर है। अतः कानूनी प्रावधानो के अभाव में यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली